

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. चरण (दिनांक 01 से 10 अगस्त 2017)

शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश

(स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

स्नातक कक्षाओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. (College Level Counselling) चरण दिनांक 01/08/2017 से 10/08/2017 तक संपन्न होगी। महाविद्यालयों द्वारा इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण के लिए प्रवेश समिति का गठन करना होगा। महाविद्यालय रिक्त रह गयी सीटों एवं प्रवेश के इच्छुक आवेदकों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रवेश समिति में सदस्यों की संख्या निर्धारित करें। प्रत्येक 100 रिक्त सीटों के लिए कम से कम पांच संकाय सदस्यों की प्रवेश समिति अवश्य बनायी जावे, संभव हो तो संकायवार प्रवेश-समिति का गठन करें। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किये जाये।
2. स्नातक सी.एल.सी. चरण में 23 जुलाई 2017 तक पंजीकृत एवं दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क जमा करा चुके सभी अप्रवेशित अथवा सीट-आवंटन अप्राप्त आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं।
3. सी.एल.सी. चरण में आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम/विषय-समूह में पात्रता होने पर प्रवेश लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।
4. समस्त महाविद्यालय उनके यहाँ चल रहे प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय-समूहों में रिक्त स्थानों की सूची दिनांक 01/08/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना-पटल पर लगावेंगे। रिक्त स्थानों की Updated सूची विभागीय पोर्टल [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) के माध्यम से प्राप्त करें। विभागीय पोर्टल पर रिक्त स्थानों को आप View Vacancy Status के माध्यम से देख सकते हैं।  
(पोर्टल पर Student Counselling Corner → View Vacancy Status (UG/PG) → Enter Institute Code & Enter Course Code प्रविष्ट करना होगा।)
5. प्रवेश के इच्छुक आवेदक को दिनांक 02/08/2017 से 05/08/2017 तक महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित संलग्न प्रपत्र [सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप] में अपना आवेदन, प्रवेश हेतु चाहे गए पाठ्यक्रम एवं विषय-समूह का विकल्प व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना होगा।
6. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round में जाने के पश्चात निम्न चार मेनू उपलब्ध होंगे :


CLC Home	UG CLC Admissions	PG CLC Admissions	Print Admission Slip (UG and PG)
	Registration for CLC	Registration for CLC	
	View Students Registered for CLC	View Students Registered for CLC	
	Download Students Spreadsheet	Download Students Spreadsheet	
	Report CLC Admissions	Report CLC Admissions	

UG मॉड्यूल Registration for CLC के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में उपस्थित समस्त आवेदकों के पंजीयन-क्रमांक एवं कोर्स-कोड को एक-एक कर दर्ज करते हुए SAVE करना होगा। इसके पश्चात Download Students Spreadsheet के माध्यम से महाविद्यालय आवेदकों की सूची Excel फाईल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। इस सूची के माध्यम से महाविद्यालय की प्रवेश समिति को आवश्यक कार्य सम्पादित करने में मदद मिल सकेगी। किसी आवेदक का नाम Generate न होने पर तत्काल ऑनलाइन प्रवेश के हेल्प-लाइन नंबर 0755-2551698, पर संपर्क करें।



- (6/7)
7. पोर्टल पर आवेदक का Application\_id प्रविष्ट करने पर इसकी जानकारी भी मिल सकेगी कि आवेदक नियमानुसार पंजीकृत है या नहीं, तथा आवेदक ने अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश तो नहीं लिया है।
  8. बिंदु क्रमांक-6 के अनुसार प्राप्त Excel फ़ाइल की सहायता से प्रवेश समिति सीएलसी-चरण हेतु प्रवेश-सूची तैयार करेगी। दिनांक 02/08/2017 से 05/08/2017 तक प्राप्त आवेदकों में से रिक्त सीटों के विरुद्ध गुणानुक्रम के आधार पर मान्य आवेदकों की प्रवेश-सूची संबंधित महाविद्यालय द्वारा दिनांक 08/08/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना पटल पर लगाई जायेगी, इस सूची में प्रतीक्षारत आवेदकों को भी सम्मिलित किया जावेगा।
  9. सी.एल.सी. चरण की प्रवेश-सूची अनुसार आवेदकों को दिनांक 08 से 10 अगस्त 2017 दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित अंतिम समय तक शुल्क जमा न करने की स्थिति में शेष रिक्त सीटों पर मेरिट सूची से अगले क्रम के आवेदकों को गुणानुक्रम से प्रवेश देते हुए शुल्क दिनांक 10 अगस्त 2017 को सायं: 8:00 बजे तक जमा करवाया जावे।
  10. सी.एल.सी. चरण में जिन आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी संबंधित महाविद्यालय द्वारा 10 अगस्त 2017 को रात्रि 11:30 बजे तक विभागीय पोर्टल पर की जाना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग के दौरान आवेदक का Application\_Id, Verification Code, का नाम एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का कोड इत्यादि प्रविष्ट करना होगा। यदि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की समस्या आए तो तत्काल ऑनलाइन प्रवेश के हेल्प-लाइन नंबर: 0755-2551698 पर संपर्क करें।
  11. सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही पूरक प्राप्त आवेदकों को गुणानुक्रम से प्रवेश दें। इस चरण के पश्चात् पूरक श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश का अन्य कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा।
  12. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round → Report CLC Admissions (UG) मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के पश्चात् Print Admission Slip (UG and PG) मॉड्यूल के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन-प्रवेश-अभिस्वीकृति-पत्रक (Online-Admission-Acknowledgement-Slip) प्रदान करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी।
  13. स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रायमरी एवं मिडिल स्कूल के शिक्षक वन-स्टेप अप योजना के अंतर्गत इस राउंड में नियमानुसार प्रवेश हेतु पात्र रहेंगे। महाविद्यालय में पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट संख्या की 2% सीटों पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में (पूर्व में वन-स्टेप अप योजना के अंतर्गत सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त शिक्षकों की संख्या को समाहित करते हुए) प्रवेश आवेदन सत्यापन करा चुके एवं उनके विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त शिक्षकों को उनके गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु अवसर रहेंगे।
  14. शासन के आदेश क्रमांक 824-825/309/सी सी/17/38 भोपाल दिनांक 16.06.2017 के तहत दिव्यांगों हेतु 5% सीट आरक्षित हैं अतः रिक्त सीट पर (पूर्व में इस व्यवस्था के अंतर्गत सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त दिव्यांगों की संख्या को समाहित करते हुए) नियमानुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न : सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप  
(ओ.एस.डी. /आयुक्त सह सचिव , उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
(डॉ. ए. एस. यादव)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
भोपाल, मध्यप्रदेश



**[1812] Govt Madhav Science College, Ujjain  
Under Graduate Courses Year 2017-18**

**Biology Group Courses**

S.No.	Course Name	Branch Code	Branch Name	Seats	Annual Fee (General)	
					Boy	Girl
1	B. Sc.	C062	Biotechnology - Botany - Chemistry	40	10725	10557
2	B. Sc.	C067	Biotechnology - Chemistry - Zoology	20	10725	10557
3	B. Sc.	C080	Botany - Chemistry - Microbiology	20	7725	7557
4	B. Sc.	C085	Botany - Chemistry - Zoology	240	1325	1157
5	B. Sc.	C092	Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology	45	7725	7557
6	B. Sc.	C118	Chemistry - Microbiology - Zoology	60	7725	7557
7	B. Sc.	C183	Pharmaceutical Chemistry - Bioinformatics - Zoology	10	17125	16957
8	B. Sc.	C327	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	50	10725	10557

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

(1/7)

क्रमांक : 962 / 119 / आउशि / शा-5'अ' / 2017

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2017

प्रति,

प्राचार्य

समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय

मध्यप्रदेश

विषय:- ऑनलाइन प्रवेश 2017-18 सी.एल.सी. चरण के पूर्व आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

-0-


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन प्रवेश 2017-18 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सी.एल.सी. चरण के पूर्व महाविद्यालय स्तर पर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

1. सी.एल.सी. चरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन प्राप्त करें। निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है।
2. सी.एल.सी. चरण की विस्तृत प्रक्रिया संलग्न है तदानुसार ही इस चरण की प्रक्रिया पूर्ण की जावें।
3. शासन के आदेश क्रमांक 824-825/309/सीसी/17/38 भोपाल दिनांक 16.06.2017 के तहत दिव्यांगों हेतु 5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। अतः रिक्त सीट पर नियमानुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया जावे।
4. परिसर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुशासन समिति पूरे समय उपस्थित रहकर व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जावें।
5. आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में पर्याप्त संख्या में काउण्टर एवं प्रवेश समितियों का गठन करें, जिससे प्रवेश कार्य निर्बाध गति से पूर्ण किया जा सके एवं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
6. बारिश को ध्यान में रखते हुए बैठक एवं स्वच्छ पेय जल हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
7. अन्य कोई आवश्यक व्यवस्था जिसे स्थानीय स्थिति अनुसार आवश्यक हो, की जावे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तथा शांति पूर्वक नियमानुसार प्रवेश कार्य सम्पन्न हो सके।
8. नवीन महाविद्यालय/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम जोड़ना, सीट परिवर्तन की सुविधा एवं उनके सत्यापन, (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) की सुविधा दिनांक 30.07.2017 तक उपलब्ध है।
9. कुछ महाविद्यालयों ने आज दिनांक तक बैंक खातों का सत्यापन नहीं करवाया है। अतः आपके अधीनस्थ मेण्ड महाविद्यालयों का यदि ऑनलाइन बैंक सत्यापन नहीं हुआ है, तो वे दिनांक 02.08.2017 तक यह कार्यवाही सुनिश्चित करें। सत्यापन हेतु सुविधा [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) पर उपलब्ध है।
10. प्रवेश हेतु पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित रह गए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सत्यापन मॉड्युल PG हेतु दिनांक 28.07.2017 से 30.07.2017 तक तथा UG हेतु दिनांक 01.08.2017 से 04.08.2017 तक उपलब्ध है। इस व्यवस्था द्वारा आवेदकों का सत्यापन किया जाना है जिससे आवेदक सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण में सम्मिलित हो सकें।



11. विद्यार्थियों के लिए टी.सी. मॉड्यूल उपलब्ध है जिससे वह टी.सी. प्राप्त कर सके एवं प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में पूर्व पंजीयन एवं सत्यापित आवेदन के आधार पर ही सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकेगा। पी.जी. हेतु टी.सी. मॉड्यूल 30.07.2017 तक तथा यू.जी. हेतु 04.08.2017 तक उपलब्ध रहेगा।
12. केवल बन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत पात्र PG आवेदकों हेतु दिनांक 28.07.2017 से 30.07.2017 तक तथा UG आवेदकों हेतु दिनांक 01.08.2017 से 04.08.2017 तक पंजीयन तथा सत्यापन की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिससे आवेदक नियमानुसार सी.एल.सी चरण में सम्मिलित हो कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
13. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के अन्तर्गत नियमानुसार निःशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग पूर्व चरणानुसार ही उपलब्ध रहेगी।
14. (क) पूरक प्राप्त पंजीकृत एवं सत्यापित प्रावधिक आवेदकों के परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने की स्थिति में उनके प्राप्तांकों तथा परीक्षा परिणाम की स्थिति यथापूरक से उत्तीर्ण होने पर आवेदन में सुधार करने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इस हेतु पूरक से उत्तीर्ण सभी आवेदकों को अंक संशोधित करते हुए पुनः 04.08.2017 तक सत्यापन करवाना होगा।  
(ख) ऐसे अप्रवेशित आवेदक जिनके पूर्व सत्यापित आवेदनों में भी त्रुटि सुधार किया जाना है, के आवेदन में अभिलेखों के साथ सुधार हेतु जानकारी कन्ट्रोल रूम में [mphe.pravesh@mp.gov.in](mailto:mphe.pravesh@mp.gov.in) पर त्रुटि सुधार हेतु ई-मेल पर अपनी सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पंजीकृत मो. नं. , आधार नं. तथा एप्लीकेशन आई.डी.) प्रेषित करें। तत्पश्चात् पुनः सत्यापन कराते हुए आवेदक सी.एल.सी चरण में सम्मिलित हो सकेंगे।  
(ग) जो आवेदक फोटो, हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर पाए हैं, वे उसे अपलोड कर पाएँगे तथा तत्पश्चात नियमानुसार सत्यापन करा कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
15. समस्त संबंधित प्राचार्य उपरोक्त सुविधाएं महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रतिदिवस प्रातः 08:00 से सायं 08:00 बजे तक समस्त व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(नीरज मंडलोई)

ओ.एस.डी./आयुक्त सहसचिव

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2017

पृ. क्रमांक : 963/119/आउशि/शा-5'अ'/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. श्री सुनील जैन तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन भोपाल कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।
4. समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त, संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।

(डॉ. ए.एस. यादव)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

(घ) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिये All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्ण सम्यक् विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करन का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश : विधि संकाय में प्रवेश बी.सी.आई. के नियमानुसार ही दिया जाएगा।

विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन-प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहाँ संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

#### 6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।


6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे आवेदकों को प्रवेश पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

6.5 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।



## 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम./बी.एससी./बी.एससी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 7.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करके हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 7.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबधित राज्यों एवं स्वाधीन राज्य के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 7.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 7.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 7.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 7.8 अन्य राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.9 ऐसे अध्ययनरत् विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें अपने छात्रावास कक्ष में किसी अन्य को ठहराना प्रतिबंधित रहेगा।
- 7.10 अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय से पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि की मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विद्यार्थी के मूल दस्तावेज छः महीने तक महाविद्यालय के पास रहेंगे, तत्पश्चात् उसे आवेदक को वापस कर दिये जायेंगे। महाविद्यालय इस तरह संधारित मूल दस्तावेजों का लेखा रखेंगे तथा विद्यार्थियों को मूल दस्तावेज जमा कराने संबंधी पावती भी प्रदान करेंगे।



## 8. प्रावधिक प्रवेश की पात्रता :

8.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

8.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा जिसके आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

8.1.2 उपरोक्त प्रवेशार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन पत्र के साथ प्रवेश लेंगे जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगर षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में गुणानुक्रम परिवर्तन अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है/वार्षिक परीक्षा पद्धति में तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है जिसके कारण प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हैं तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रावधिक प्रवेश के उपरान्त अंतिम परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा।

8.2 स्नातक में तृतीय/पंचम सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. के नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

## 8.4 ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम :

### 8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम

1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों की परीक्षा होगी।
2. दो विषयों के प्रश्न-पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
5. विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णता अथवा आंशिक अनुपस्थित विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषय सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ) ए.टी.के.टी. विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि "विशेष परीक्षार्थी" के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

### 8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

1. सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
2. दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

*Handwritten signature and initials*



3. विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
  4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी।
- 8.5 जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में उन्हें जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

#### 9. प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :

- 9.1 जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रामाणित आरोप हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य कदापि अधिकृत नहीं है।
- 9.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 9.3 आयु संबंधी पात्रता :
  - (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 28 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना प्रवेश वर्ष में एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। प्रवेश के लिये छात्रों के लिये आयु-सीमा में छूट रहेगी।
  - (ख) आयु-सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये विद्यार्थियों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं है।
  - (ग) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु-सीमा का बंधन नहीं होगा।
  - (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकेगी।
  - (ङ) निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
  - (च) प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है।
- 9.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि या शाम को लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- 9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

*[Handwritten signature]*

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।
- 10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
- 10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्दल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

*Handwritten signature and initials*



- 12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:  
अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल ([www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in)) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।  
अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के प्रवेश पोर्टल ([www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in)) पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।
- 12.10 आरक्षित स्थानों का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।
- 12.11 कडिका 2.5 अनुसार तृतीय चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- 12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो: पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

**13. अधिभार :**

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

**13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):**

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत
(श)	<b>जूडो/कराटे :</b>	
	यलो बेल्ट (Yellow Belt)	2 प्रतिशत
	ब्राउन बेल्ट (Brown Belt)	3 प्रतिशत
	ब्लैक बेल्ट (Black Belt)	4 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर -

10 प्रतिशत

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम में प्रवेश देने पर -

5 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विचित्र/रूपकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को -

2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को -

4 प्रतिशत



- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 6 प्रतिशत  
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 7 प्रतिशत  
 (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 5 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को - 15 प्रतिशत  
 (ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 12 प्रतिशत  
 (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साईन्स तथा कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को - 10 प्रतिशत
- 13.6 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
- (क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत  
 (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मध्यप्रदेश की टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत
- अधिभार दिया जायेगा बशर्ते म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- 13.7 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को - 1 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन : एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया, एस.जी.एफ.आइ. द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनके वे पात्र हैं।
- बशर्ते कि -**
- (1) इस प्रकार के उनके प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, और  
 (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पंजीयन के अंतर्गत उक्त जानकारी का उल्लेख किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात् दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.9 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।
- 13.10 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह-प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 13.4(3) के अनुरूप होगी।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अर्ह परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्ताकों पर ही देय होगा।

15. विशेष :

- 15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.2.1 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।
- 15.2.2 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.1 एवं 9.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 15.5(अ) प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को रु. 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई शेष राशि वापस की जाएगी। लेकिन उपर्युक्त स्थिति में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई और राशि वापस नहीं की जायेगी।

**रिमार्क:**—यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल कॉउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

- 15.5(ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रुपये 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।
- 15.6 नियमित प्रवेश पश्चात् विषय/पाठ्यक्रम/संकाय/परिवर्तन : प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करते हुए, नियमानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पात्रता एवं गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर दिनांक 8 अगस्त, 2017 तक या जारी नवीन निर्देशों के अनुसार विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तित किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑन-लाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करना होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।
- 15.7 एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑन लाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

*Sw*  
*P. E. J.*



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

1/7

क्रमांक : 962/119/आउशि/शा-5'अ'/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2017

प्राचार्य  
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय  
मध्यप्रदेश

विषय:- ऑनलाइन प्रवेश 2017-18 सी.एल.सी. चरण के पूर्व आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन प्रवेश 2017-18 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सी.एल.सी. चरण के पूर्व महाविद्यालय स्तर पर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

1. सी.एल.सी. चरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन प्राप्त करें। निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है।
2. सी.एल.सी. चरण की विस्तृत प्रक्रिया संलग्न है तदनुसार ही इस चरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएं।
3. शासन के आदेश क्रमांक 824-825/309/सीसी/17/38 भोपाल दिनांक 16.06.2017 के तहत दिव्यांगो हेतु 5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। अतः रिक्त सीट पर नियमानुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया जावे।
4. परिसर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुशासन समिति पूरे समय उपस्थित रहकर व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाए।
5. आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में पर्याप्त संख्या में काउण्टर एवं प्रवेश समितियों का गठन करें, जिससे प्रवेश कार्य निर्बाध गति से पूर्ण किया जा सके एवं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
6. बारिश को ध्यान में रखते हुए बैठक एवं स्वच्छ पेय जल हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएं।
7. अन्य कोई आवश्यक व्यवस्था जिसे स्थानीय स्थिति अनुसार आवश्यक हो, की जावे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तथा शांति पूर्वक नियमानुसार प्रवेश कार्य सम्पन्न हो सके।
8. नवीन महाविद्यालय/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम जोड़ना, सीट परिवर्तन की सुविधा एवं उनके सत्यापन, (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) की सुविधा दिनांक 30.07.2017 तक उपलब्ध है।
9. कुछ महाविद्यालयों ने आज दिनांक तक बैंक खातों का सत्यापन नहीं करवाया है। अतः आपके अधीनस्थ मेण्ड महाविद्यालयों का यदि ऑनलाइन बैंक सत्यापन नहीं हुआ है, तो वे दिनांक 02.08.2017 तक यह कार्यवाही सुनिश्चित करें। सत्यापन हेतु सुविधा [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) पर उपलब्ध है।
10. प्रवेश हेतु पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित रह गए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सत्यापन मॉड्युल PG हेतु दिनांक 28.07.2017 से 30.07.2017 तक तथा UG हेतु दिनांक 01.08.2017 से 04.08.2017 तक उपलब्ध है। इस व्यवस्था द्वारा आवेदकों का सत्यापन किया जाना है जिससे आवेदक सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण में 'सम्मिलित' हो सकें।



11. विद्यार्थियों के लिए टी.सी. मॉड्यूल उपलब्ध है जिससे वह टी.सी. प्राप्त कर सके एवं प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में पूर्व पंजीयन एवं सत्यापित आवेदन के आधार पर ही सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकेगा। पी.जी. हेतु टी.सी. मॉड्यूल 30.07.2017 तक तथा यू.जी. हेतु 04.08.2017 तक उपलब्ध रहेगा।

12. केवल वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत पात्र PG आवेदकों हेतु दिनांक 28.07.2017 से 30.07.2017 तक तथा UG आवेदकों हेतु दिनांक 01.08.2017 से 04.08.2017 तक पंजीयन तथा सत्यापन की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिससे आवेदक नियमानुसार सी.एल.सी चरण में सम्मिलित हो कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

13. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के अन्तर्गत नियमानुसार निःशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग पूर्व चरणानुसार ही उपलब्ध रहेगी।

14. (क) पूरक प्राप्त पंजीकृत एवं सत्यापित प्रावधिक आवेदकों के परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने की स्थिति में उनके प्राप्तांकों तथा परीक्षा परिणाम की स्थिति यथापूरक से उत्तीर्ण होने पर आवेदन में सुधार करने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इस हेतु पूरक से उत्तीर्ण सभी आवेदकों को अंक संशोधित करते हुए पुनः 04.08.2017 तक सत्यापन करवाना होगा।

(ख) ऐसे अप्रवेशित आवेदक जिनके पूर्व सत्यापित आवेदनों में भी त्रुटि सुधार किया जाना है, के आवेदन में अभिलेखों के साथ सुधार हेतु जानकारी कन्ट्रोल रूम में [mphe.pravesh@mp.gov.in](mailto:mphe.pravesh@mp.gov.in) पर त्रुटि सुधार हेतु ई-मेल पर अपनी सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पंजीकृत मो. नं., आधार नं. तथा एप्लीकेशन आई.डी.) प्रेषित करें। तत्पश्चात् पुनः सत्यापन कराते हुए आवेदक सी.एल.सी चरण में सम्मिलित हो सकेंगे।

(ग) जो आवेदक फोटो, हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर पाए हैं, वे उसे अपलोड कर पाएंगे तथा तत्पश्चात् नियमानुसार सत्यापन करा कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।

15. समस्त संबंधित प्राचार्य उपरोक्त सुविधाएं महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रतिदिवस प्रातः 08:00 से सायं 08:00 बजे तक समस्त व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(नीरज मंडलोई)

ओ.एस.डी./आयुक्त सहसचिव

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2017

पृ. क्रमांक : 963/119/आउशि/शा-5'अ'/2017

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. श्री सुनील जैन तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन भोपाल कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।
4. समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त, संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।

(डॉ. ए.एस. यादव)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



**ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. चरण (दिनांक 28 जुलाई 2017 से 04 अगस्त 2017)**

**शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश**

**(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)**

स्नातकोत्तर कक्षाओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. (College Level Counselling) चरण दिनांक 28/07/2017 से 04/08/2017 तक संपन्न होगा। महाविद्यालयों द्वारा इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण के लिए प्रवेश समिति का गठन करना होगा। महाविद्यालय रिक्त रह गयी सीटों एवं प्रवेश के इच्छुक आवेदकों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रवेश समिति में सदस्यों की संख्या निर्धारित करें। प्रत्येक 100 रिक्त सीटों के लिए कम से कम पांच संकाय सदस्यों की प्रवेश समिति अवश्य बनायी जावे। संभव हो तो संकायवार प्रवेश-समिति का गठन करें। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किये जाये।
2. बी.लिब., एल.एल.बी., स्नाकोत्तर एवं अन्य पी.जी. पाठ्यक्रमों हेतु सी.एल.सी. चरण में 18/07/2017 पंजीकृत एवं दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके सभी अप्रवेशित सीट आवंटन अप्राप्त आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं।
3. सी.एल.सी. चरण में आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम/विषय-समूह में पात्रता होने पर प्रवेश लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।
4. समस्त महाविद्यालय उनके यहाँ चल रहे प्रत्येक स्नाकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों की सूची दिनांक 28/07/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना-पटल पर लगावेंगे। रिक्त स्थानों की Updated सूची विभागीय पोर्टल [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) के माध्यम से डाउनलोड करें। विभागीय पोर्टल पर रिक्त स्थानों को आप View Vacancy Status के माध्यम से देख सकते हैं।  
(पोर्टल पर Student Corner Counselling → View Vacancy Status (UG/PG) → Enter Institute Code & Enter Course Code प्रविष्ट करना होगा)।
5. प्रवेश के इच्छुक आवेदक को दिनांक 29/07/2017 से 31/07/2017 तक महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित संलग्न प्रपत्र [सी चरण .सी.एल.में सीटआवंटन- हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप] में अपना आवेदन, प्रवेश हेतु चाहे गए पाठ्यक्रम एवं विषय का विकल्प व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना होगा।
6. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round में जाने के पश्चात निम्न चार मेनू उपलब्ध होंगे :

CLC Home	UG CLC Admissions	PG CLC Admissions	Print Admission Slip (UG and PG)
	Registration for CLC	Registration for CLC	
	View Students Registered for CLC	View Students Registered for CLC	
	Download Students Spreadsheet	Download Students Spreadsheet	
	Report CLC Admissions	Report CLC Admissions	

PG मॉड्यूल Registration for CLC के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में उपस्थित समस्त आवेदकों के पंजीयन-क्रमांक एवं कोर्स-कोड को एक-एक कर दर्ज करते हुए SAVE करना होगा। इसके पश्चात Download Students Spreadsheet के माध्यम से महाविद्यालय आवेदकों की सूची Excel फाईल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। इस सूची के माध्यम से महाविद्यालय की प्रवेश समिति को आवश्यक कार्य सम्पादित करने में मदद मिल सकेगी। किसी आवेदक का नाम Generate न होने पर तत्काल ऑनलाइन प्रवेश समिति के हेल्प-लाइन नंबर 0755-2551698 पर संपर्क करें।

7. पोर्टल पर आवेदक का Application\_id प्रविष्ट करने पर इसकी जानकारी भी मिल सकेगी कि आवेदक नियमानुसार पंजीकृत है या नहीं, तथा आवेदक ने अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश तो नहीं लिया है।
8. बिंदु क्रमांक-6 के अनुसार प्राप्त Excel फाईल की सहायता से प्रवेश समिति सी.एल.सी.-चरण हेतु प्रवेश-सूची तैयार करेगी। दिनांक 31/07/2017 तक उपस्थित सभी आवेदकों में से रिक्त सीटों के विरुद्ध गुणानुक्रम के आधार पर



ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. चरण (दिनांक 28 जुलाई 2017 से 04 अगस्त 2017)

**शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश**

(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

स्नातकोत्तर कक्षाओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. (College Level Counselling) चरण दिनांक 28/07/2017 से 04/08/2017 तक संपन्न होगा। महाविद्यालयों द्वारा इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण के लिए प्रवेश समिति का गठन करना होगा। महाविद्यालय रिक्त रह गयी सीटों एवं प्रवेश के इच्छुक आवेदकों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रवेश समिति में सदस्यों की संख्या निर्धारित करें। प्रत्येक 100 रिक्त सीटों के लिए कम से कम पांच संकाय सदस्यों की प्रवेश समिति अवश्य बनायी जावे। संभव हो तो संकायवार प्रवेश-समिति का गठन करें। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किये जाये।
2. बी.लिब., एल.एल.बी., स्नाकोत्तर एवं अन्य पी.जी. पाठ्यक्रमों हेतु सी.एल.सी. चरण में 18/07/2017 पंजीकृत एवं दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके सभी अप्रवेष्टित सीट आवंटन अप्राप्त आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं।
3. सी.एल.सी. चरण में आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम/विषय-समूह में पात्रता होने पर प्रवेश लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।
4. समस्त महाविद्यालय उनके यहाँ चल रहे प्रत्येक स्नाकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों की सूची दिनांक 28/07/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना-पटल पर लगावेंगे। रिक्त स्थानों की Updated सूची विभागीय पोर्टल [www.opravesh.nic.in](http://www.opravesh.nic.in) के माध्यम से डाउनलोड करें। विभागीय पोर्टल पर रिक्त स्थानों को आप View Vacancy Status के माध्यम से देख सकते हैं।  
(पोर्टल पर Student Corner Counselling → View Vacancy Status (UG/PG) → Enter Institute Code & Enter Course Code प्रविष्ट करना होगा)।
5. प्रवेश के इच्छुक आवेदक को दिनांक 29/07/2017 से 31/07/2017 तक महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित संलग्न प्रपत्र [सी चरण .सी.एल.में सीटआवंटन- हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप] में अपना आवेदन, प्रवेश हेतु चाहे गए पाठ्यक्रम एवं विषय का विकल्प व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना होगा।
6. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round में जाने के पश्चात निम्न चार मेनू उपलब्ध होंगे :

CLC Home	UG CLC Admissions	PG CLC Admissions	Print Admission Slip (UG and PG)
	Registration for CLC	Registration for CLC	
	View Students Registered for CLC	View Students Registered for CLC	
	Download Students Spreadsheet	Download Students Spreadsheet	
	Report CLC Admissions	Report CLC Admissions	

PG मॉड्यूल Registration for CLC के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में उपस्थित समस्त आवेदकों के पंजीयन-क्रमांक एवं कोर्स-कोड को एक-एक कर दर्ज करते हुए SAVE करना होगा। इसके पश्चात Download Students Spreadsheet के माध्यम से महाविद्यालय आवेदकों की सूची Excel फाईल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। इस सूची के माध्यम से महाविद्यालय की प्रवेश समिति को आवश्यक कार्य सम्पादित करने में मदद मिल सकेगी। किसी आवेदक का नाम Generate न होने पर तत्काल ऑनलाइन प्रवेश समिति के हेल्प-लाइन नंबर 0755-2551698 पर संपर्क करें।

7. पोर्टल पर आवेदक का Application\_id प्रविष्ट करने पर इसकी जानकारी भी मिल सकेगी कि आवेदक नियमानुसार पंजीकृत है या नहीं, तथा आवेदक ने अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश तो नहीं लिया है।
8. बिंदु क्रमांक-6 के अनुसार प्राप्त Excel फाईल की सहायता से प्रवेश समिति सीएलसी-चरण हेतु प्रवेश-सूची तैयार करेगी। दिनांक 31/07/2017 तक उपस्थित सभी आवेदकों में से रिक्त सीटों के विरुद्ध गुणानुक्रम के आधार पर



मान्य आवेदकों की प्रवेश-सूची संबंधित महाविद्यालय द्वारा दिनांक 01/08/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना पटल पर लगाई जायेगी, इस सूची में प्रतीक्षारत आवेदकों को भी सम्मिलित किया जावेगा।

9. सी.एल.सी. चरण की प्रवेश-सूची में प्रवेश प्राप्त आवेदकों को दिनांक 01/08/2017 से 04/08/2017 अपरान्ह 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित अंतिम समय तक शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रतीक्षा-सूची के आवेदकों को प्रवेश देते हुए शुल्क दिनांक 04/08/2017 को सायं: 5:00 बजे तक जमा करवाया जावे।
10. सी.एल.सी. चरण में जिन आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा उनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी संबंधित महाविद्यालय द्वारा 04/08/2017 को रात्रि 11:30 बजे तक विभागीय पोर्टल पर की जाना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग के दौरान आवेदक का Application\_Id, Course\_Code, Verification Code एवं Allotted Category का नाम प्रविष्ट करना होगा। यदि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की समस्या आए तो तत्काल ऑनलाइन प्रवेश समिति के हेल्प-लाइन नंबर: 0755-2551698 पर संपर्क करें।
11. स्नातक में ATKT प्राप्त आवेदकों हेतु निर्देश :
  - सी.एल.सी. चरण में द्वितीय अथवा/एवं चतुर्थ सेमेस्टर/सेमेस्टर्स की ए.टी.के.टी. के साथ षष्ठ (Sixth) सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके या होने वाले पंजीकृत आवेदकों को ही स्थान रिक्त होने की स्थिति में ही गुणानुक्रम से प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
  - ATKT प्राप्त ऐसे आवेदक जिनकी ATKT प्रश्नपत्रों की परीक्षा विषम सेमेस्टर्स के साथ आगामी नवम्बर/दिसम्बर माह में आयोजित होने वाली हो, इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।
  - इस चरण के पश्चात ATKT प्राप्त आवेदकों के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा।
12. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देते समय निर्धारित वचन-पत्र समस्त आवेदकों से अनिवार्यतः लेना होगा।
13. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदकों को छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि ATKT प्राप्त होती है तो उनका प्रावधिक प्रवेश महाविद्यालय द्वारा तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसकी सूचना अनिवार्यतः ऑनलाइन पोर्टल पर टी.सी. रिपोर्टिंग मॉड्यूल में दर्ज करना होगी।
14. स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रायमरी एवं मिडिल स्कूल के शिक्षक भी इस राउंड में नियमानुसार प्रवेश हेतु पात्र रहेंगे। महाविद्यालय में पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत सीट संख्या की 2% सीटों पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में (पूर्व में वन-स्टेप अप योजना के अंतर्गत सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त शिक्षकों की संख्या को समाहित करते हुए) प्रवेश आवेदन सत्यापन करा चुके एवं उनके विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त शिक्षकों को उनके गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु अवसर रहेंगे।
15. शासन के आदेश क्रमांक 824-825/309/सी सी/17/38 भोपाल दिनांक 16.06.2017 के तहत दिव्यांगों हेतु 5% सीट आरक्षित हैं अतः रिक्त सीट पर (पूर्व में इस व्यवस्था के अंतर्गत सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त दिव्यांगों की संख्या को समाहित करते हुए) नियमानुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।
14. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round → Report CLC Admissions) PG → मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के पश्चात् Print Admission Slip (UG and PG) मॉड्यूल के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन-प्रवेश-अभिस्वीकृति-पत्रक (Online-Admission-Acknowledgement-Slip) प्रदान करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी।

ऑनलाइन रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की समस्या आये तो तत्काल ऑनलाइन प्रवेश हेल्प लाइन नंबर 0755-2551698 पर संपर्क करें।

संलग्न : सी.सी.एल.चरण में सीटआवंटन- हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।  
(ओ.एस.डी. /आयुक्त सह सचिव (उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित ,

(डॉ. ए. एस. यादव)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

• उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल,  
मध्यप्रदेश



ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. चरण (दिनांक 01 से 10 अगस्त 2017)

शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश

(स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

स्नातक कक्षाओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का सी.एल.सी. (College Level Counselling) चरण दिनांक 01/08/2017 से 10/08/2017 तक संपन्न होगी। महाविद्यालयों द्वारा इस चरण में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. महाविद्यालय स्तर पर सी.एल.सी. चरण के लिए प्रवेश समिति का गठन करना होगा। महाविद्यालय रिक्त रह गयी सीटों एवं प्रवेश के इच्छुक आवेदकों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रवेश समिति में सदस्यों की संख्या निर्धारित करें। प्रत्येक 100 रिक्त सीटों के लिए कम से कम पांच संकाय सदस्यों की प्रवेश समिति अवश्य बनायी जावे, संभव हो तो संकायवार प्रवेश-समिति का गठन करें। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबंध भी किये जाये।
2. स्नातक सी.एल.सी. चरण में 23 जुलाई 2017 तक पंजीकृत एवं दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क जमा करा चुके सभी अप्रवेशित अथवा सीट-आवंटन अप्राप्त आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं।
3. सी.एल.सी. चरण में आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम/विषय-समूह में पात्रता होने पर प्रवेश लेने के लिए उपस्थित हो सकता है।
4. समस्त महाविद्यालय उनके यहाँ चल रहे प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय-समूहों में रिक्त स्थानों की सूची दिनांक 01/08/2017 को प्रातः 11:00 बजे सूचना-पटल पर लगावेंगे। रिक्त स्थानों की Updated सूची विभागीय पोर्टल [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) के माध्यम से प्राप्त करें। विभागीय पोर्टल पर रिक्त स्थानों को आप View Vacancy Status के माध्यम से देख सकते हैं।  
(पोर्टल पर Student Counselling Corner → View Vacancy Status (UG/PG) → Enter Institute Code & Enter Course Code प्रविष्ट करना होगा।)
5. प्रवेश के इच्छुक आवेदक को दिनांक 02/08/2017 से 05/08/2017 तक महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित संलग्न प्रपत्र [सी.एल.सी. चरण में सीट-आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप] में अपना आवेदन, प्रवेश हेतु चाहे गए पाठ्यक्रम एवं विषय-समूह का विकल्प व्यक्त करते हुए महाविद्यालय की प्रवेश समिति को प्रस्तुत करना होगा।
6. विभागीय पोर्टल पर CLC-Round में जाने के पश्चात निम्न चार मेनू उपलब्ध होंगे :

CLC Home	UG CLC Admissions	PG CLC Admissions	Print Admission Slip (UG and PG)
	Registration for CLC	Registration for CLC	
	View Students Registered for CLC	View Students Registered for CLC	
	Download Students Spreadsheet	Download Students Spreadsheet	
	Report CLC Admissions	Report CLC Admissions	

UG मॉड्यूल Registration for CLC के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में उपस्थित समस्त आवेदकों के पंजीयन-क्रमांक एवं कोर्स-कोड को एक-एक कर दर्ज करते हुए SAVE करना होगा। इसके पश्चात Download Students Spreadsheet के माध्यम से महाविद्यालय आवेदकों की सूची Excel फाईल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। इस सूची के माध्यम से महाविद्यालय की प्रवेश समिति को आवश्यक कार्य सम्पादित करने में मदद मिल सकेगी। किसी आवेदक का नाम Generate न होने पर तत्काल ऑनलाइन प्रवेश के हेल्प-लाइन नंबर 0755-2551698, पर संपर्क करें।



**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under Graduate Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Branch Code	Stream	Seats	Link Initiate	Admission/Fee Submitted
1	B. C. A.	C030	BCA	60	26	60
2	B. Sc.	C062	Biotechnology - Botany - Chemistry	40	9	26
3	B. Sc.	C067	Biotechnology - Chemistry - Zoology	20	9	15
4	B. Sc.	C080	Botany - Chemistry - Microbiology	20	7	12
5	B. Sc.	C085	Botany - Chemistry - Zoology	264	101	265
6	B. Sc.	C092	Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology	45	11	33
7	B. Sc.	C116	Chemistry - Mathematics - Physics	264	93	251
8	B. Sc.	C118	Chemistry - Microbiology - Zoology	60	20	57
9	B. Sc.	C127	Computer Application - Economics - Mathematics	5	2	5
10	B. Sc.	C129	Computer Application - Mathematics - Physics	30	8	23
11	B. Sc.	C130	Computer Application - Mathematics - Statistics	20	5	12
12	B. Sc.	C137	Computer Science - Mathematics - Physics	80	37	79
13	B. Sc.	C138	Computer Science - Mathematics - Statistics	30	11	30
14	B. Sc.	C139	Economics - Mathematics - Statistics	15	6	13
15	B. Sc.	C140	Electronics - Computer Science - Mathematics	10	2	6
16	B. Sc.	C142	Electronics - Information Technology - Mathematics	20	0	5
17	B. Sc.	C148	Geology - Economics - Mathematics	5	0	1
18	B. Sc.	C156	Information Technology - Mathematics - Physics	25	5	22
19	B. Sc.	C170	Mathematics - Electronics - Statistics	30	2	6
20	B. Sc.	C172	Mathematics - Geology - Physics	20	4	14
21	B. Sc.	C176	Mathematics - Information Technology - Statistics	25	1	15
22	B. Sc.	C178	Mathematics - Pharmaceutical Chemistry - Physics	5	1	3
23	B. Sc.	C183	Pharmaceutical Chemistry - Bioinformatics - Zoology	10	4	10
24	B. Sc.	C187	Physics - Mathematics - Statistics	50	12	40
25	B. Sc.	C259	Computer Application- Geology - Mathematics	5	0	0
26	B. Sc.	C311	Economics - Geography - Geology	25	4	8
27	B. Sc.	C312	Economics- Geography - Statistics	15	0	2
28	B. Sc.	C327	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	50	1	25
<b>Total</b>				<b>1248</b>	<b>381</b>	<b>1038</b>

Updated On 12-09-2017 at 03:34pm

Mayank MVM Fess Detail and code 2017-18.xls

**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under/Post Graduate/PG Diploma Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Stream	Seats	Link Initiate	Admission
1	M. Sc.	Botany	45	20	33
2	M. Sc.	Chemistry	45	23	45
3	M. Sc.	Mathematics	80	38	76
4	M. Sc.	Microbiology	30	12	18
5	M. Sc.	Pharmaceutical Chemistry	50	24	43
6	M. Sc.	Zoology	50	27	50
7	Special Courses	Pharmaceuticals Quality Control and Quality Assurance Management	30	0	0
8	Special Courses	PG Dipoma in Yoga	60	18	59
9	Special Courses	PGDCA	60	7	20
<b>Total</b>			<b>450</b>	<b>169</b>	<b>344</b>



**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under Graduate Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Branch Code	Stream	Seats	Annual Fee (General) I Sem.		Annual Fee (General) III Sem.		Annual Fee (General) V Sem.	
					Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl
1	B. C. A.	C030	BCA	60	12551	12407	12341	12197	12441	12297
2	B. Sc.	C062	Biotechnology - Botany - Chemistry	40	10725	10557	10515	10347	10615	10447
3	B. Sc.	C067	Biotechnology - Chemistry - Zoology	20	10725	10557	10515	10347	10615	10447
4	B. Sc.	C080	Botany - Chemistry - Microbiology	20	7725	7557	7515	7347	7615	7447
5	B. Sc.	C085	Botany - Chemistry - Zoology	240	1325	1157	1315	1147	1415	1247
6	B. Sc.	C092	Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology	45	7725	7557	7515	7347	7615	7447
7	B. Sc.	C118	Chemistry - Microbiology - Zoology	60	7725	7557	7515	7347	7615	7447
8	B. Sc.	C183	Pharmaceutical Chemistry - Bioinformatics - Zoology	10	17125	16957	16715	16547	16815	16647
9	B. Sc.	C327	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	50	10725	10557	10515	10347	10615	10447
10	B. Sc.	C116	Chemistry - Mathematics - Physics	240	1201	1057	1191	1047	1291	1147
11	B. Sc.	C127	Computer Application - Economics - Mathematics	5	7551	7407	7341	7197	7441	7297
12	B. Sc.	C129	Computer Application - Mathematics - Physics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
13	B. Sc.	C130	Computer Application - Mathematics - Statistics	20	7651	7507	7441	7297	7541	7397
14	B. Sc.	C137	Computer Science - Mathematics - Physics	80	7651	7507	7441	7297	7541	7397
15	B. Sc.	C138	Computer Science - Mathematics - Statistics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
16	B. Sc.	C139	Economics - Mathematics - Statistics	15	1151	1007	1141	997	1241	1097
17	B. Sc.	C140	Electronics - Computer Science - Mathematics	10	14001	13857	13591	13447	13691	13547
18	B. Sc.	C142	Electronics - Information Technology - Mathematics	20	14001	13857	13591	13447	13691	13547
19	B. Sc.	C148	Geology - Economics - Mathematics	5	1151	1007	1141	997	1241	1097
20	B. Sc.	C156	Information Technology - Mathematics - Physics	25	7651	7507	7441	7297	7541	7397

21	B. Sc.	C170	Mathematics - Electronics - Statistics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
22	B. Sc.	C172	Mathematics - Geology - Physics	20	1201	1057	1191	1047	1291	1147
23	B. Sc.	C176	Mathematics - Information Technology - Statistics	25	7651	7507	7441	7297	7541	7397
24	B. Sc.	C178	Mathematics - Pharmaceutical Chemistry - Physics	5	7651	7507	7441	7297	7541	7397
25	B. Sc.	C187	Physics - Mathematics - Statistics	50	1201	1057	1191	1047	1291	1147
26	B. Sc.	C311	Economics - Geography - Geology	25	1201	1057	1191	1047	1291	1147
27	B. Sc.	C312	Economics- Geography - Statistics	15	1201	1057	1191	1047	1291	1147
28	B. Sc.	C259	Computer Application- Geology - Mathematics	5	7651	7507	7441	7297	7541	7397

### Under/Post Graduate/PG Diploma Courses Year 2017-18

S.N o.	Course	Stream	Seats	Annual Fee (General) I Sem. Bov	Annual Fee (General) I Sem. Girl	Annual Fee (General) III Sem. Bov	Annual Fee (General) III Sem. Girl
1	M. Sc.	Botany	45	1587	1371	1487	1271
2	M. Sc.	Chemistry	45	1587	1371	1487	1271
3	M. Sc.	Mathematics	80	7587	7371	7487	7271
4	M. Sc.	Microbiology	30	25087	24871	23987	23771
5	M. Sc.	Pharmaceutical Chemistry	50	24087	23871	22987	22771
6	M. Sc.	Zoology	45	1587	1371	1487	1271
7	Special Courses	Pharmaceuticals Quality Control and Quality Assurance Management	30	17587	17371	17487	17271
8	Special Courses	PG Dipoma	60				
9	Special Courses	PGDCA	60				



## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

स्नातक प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	बजे तक
<b>प्रथम चरण</b>				
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	25.05.2017	10.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	26.05.2017	13.06.2017	
2	(अ) 13 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	19.06.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	19.06.2017	23.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 22 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना होगा )	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
<b>द्वितीय चरण</b>				
3	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना	24.06.2017	27.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए	24.06.2017	28.06.2017	
4	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	24.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयीं सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना ( पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	24.06.2017	30.06.2017	
5	(अ) 28 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	04.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	04.07.2017	07.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 06 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
<b>तृतीय चरण</b>				
6	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	08.07.2017	10.07.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	08.07.2017	11.07.2017	

I B & Co.

7	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	08.07.2017		
	(ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना ( पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	08.07.2017	11.07.2017	
8	(अ) तृतीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	15.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	15.07.2017	19.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 18 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	15.07.2017	19.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	15.7.2017	19.07.2017	11:30 PM

### C.L.C

9	महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात (C.L.C चरण हेतु) रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	21.07.2017		
College Level Counselling (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदकों को महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करना होगा।				
	सी.एल.सी. हेतु इच्छुक आवेदकों को महाविद्यालय में उपस्थित होना एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	22.07.2017	25.07.2017	
	महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारी करना	26.07.2017		
	(अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	26.7.2017	29.07.17	5:00 PM
	(ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करें)।	26.07.2017	29.07.2017	11:30 PM
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त समस्त महाविद्यालय /संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	26.07.2017	29.07.2017	11:30 PM

Handwritten signature and initials.



## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

स्नातकोत्तर प्रथम-सेमेस्टर				
क्र.	कार्य विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	बजे तक
<b>प्रथम चरण</b>				
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	01.06.2017	15.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	01.06.2017	17.06.2017	
2	(अ) 17 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	22.06.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	22.06.2017	28.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 27 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना होगा)	22.06.2017	28.06.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	22.06.2017	28.06.2017	11:30 PM
<b>द्वितीय चरण</b>				
3	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	29.06.2017	01.07.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	29.06.2017	03.07.2017	
4	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	29.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयीं सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	29.06.2017	03.07.2017	
5	(अ) 01 जुलाई 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	06.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	06.07.2017	11.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 10 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
<b>तृतीय चरण</b>				
6	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	12.07.2017	14.07.2017	

R. S. S.

	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	12.07.2017	15.07.2017	
7	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	12.07.2017		
	(ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	12.07.2017	15.07.2017	
8	(अ) तृतीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	19.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	19.07.2017	22.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 21 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	19.07.2017	22.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	19.07.2017	22.07.2017	11:30 PM
<b>C.L.C.</b>				
9	महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात रिक्त रह स्थानों की सूची जारी करना (CLC चरण हेतु )	24.07.2017		
College Level Counselling (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदको को महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करना होगा।				
	सी.एल.सी. चरण हेतु इच्छुक आवेदको को महाविद्यालय में उपस्थित होना एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	24.07.2017	26.07.2017	
	महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारी करना	27.07.2017		
	(अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	27.07.2017	29.07.2017	5:00 PM
	(ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय में भुगतान करें)	27.07.2017	29.07.2017	11:30 PM
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त समस्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	27-07-2017	29.07.2017	11:00 PM

*Dr. I. E. S.*



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल-462004  
 मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की  
 स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए  
 प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त  
 (सत्र 2017-2018)

**1. प्रयुक्ति :**

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

**2. प्रवेश प्रक्रिया :**

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2017-18 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार निर्धारित समयवधि में अनिवार्यतः करवाना होगा। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) पोर्टल उपलब्ध है। आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन पंजीकरण के दौरान कर सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारणी अनुसार चरणवार एक मुश्त निम्नानुसार देय होगा:-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/-
2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250/- विलंब शुल्क सहित।
3. तृतीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/- विलंब शुल्क सहित।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा।

आवेदक एक ही बार पंजीयन कराये। एक से अधिक पंजीयन पाये जाने पर केवल प्रथम पंजीयन ही मान्य होगा। पंजीयन के पश्चात् आवेदक प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर पोर्टल पर आवश्यक सुधार करें। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। पंजीयन प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों (Help Centres) की व्यवस्था की गई है। आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन इन महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर निर्धारित फार्म भरकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इस हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु. 10 जनभागीदारी मद में लिये जावेंगे। आवेदक को निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कंडिका 2.1 अनुसार करवाना होगा।

जिन दूरस्थ अंचलों के शासकीय महाविद्यालयों में हेल्प सेंटर नहीं है, उन महाविद्यालयों में आवेदक निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित आवेदन निर्धारित चरणवार पंजीयन तिथि के तीन दिवस पूर्व तक जमा कर सकते हैं। आवेदक अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे जिस महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा आवेदक से निर्धारित पंजीयन शुल्क प्राप्त कर जनभागीदारी खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा आवेदक का ऑनलाइन पंजीयन तीन दिवस के अन्दर/उस चरण की निर्धारित पंजीयन तिथि तक आवश्यक रूप से करना होगा तथा उसे पोर्टल पर सत्यापन अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करवाना होगा। आवेदक के ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट उसके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तथा इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। महाविद्यालय को आवेदक से प्राप्त पंजीयन शुल्क की जानकारी (दिनांक, महाविद्यालय का कोड क्रमांक, आवेदक का पंजीयन क्रमांक तथा रसीद क्रमांक आदि) पोर्टल पर तुरन्त दर्ज करना आवश्यक होगा। यह अति-आवश्यक है क्योंकि पंजीयन शुल्क की जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक का आवंटन नहीं किया जायेगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

**पंजीयन शुल्क का भुगतान :**

1. निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान द्वारा
2. निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा

**2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :**

**2.1.1 स्नातक स्तर:** ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, आयु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, संवर्ग प्रमाण-पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी-लेयर में न होने का प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र, एन.एस.एस./एन.सी.सी./क्रीडा/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण-पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रों में अपने मूल प्रमाण-पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन-पत्र की प्रति सहित उपस्थित होना होगा। निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केंद्र में अभिलेख स्वरूप साथ रखेंगे। अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर आवेदक सत्यापन-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।



2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर: ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्र से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन-पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के संबंध में :

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :

2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर भी दी जायेगी। तथापि आवेदक से यह अपेक्षित है कि वह अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि में करेगा। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाईन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनीशियट होगी। यह लिंक समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

2.3.2 महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट आवेदक को अनिवार्यतः दिया जाना है, तभी आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय के प्रवेशित छात्रों की सूची में पोर्टल पर दिखाई देगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं भी अपनी एडमिशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

2.4 महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ :

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हे आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

*Dr. T. E. S. S.*

## 2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेश :

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर तृतीय चरण हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व बरीयताओं में समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.2 पात्रता प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्राविधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर पास/पूरक अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।


2.5.3 कडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश वाहने वाले उनके पाल्य को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित समय के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक पाल्य का निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियानुसार अन्य महाविद्यालय में प्रवेशित होना अनिवार्य है। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

## 2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

### 2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।





5. गृह-विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में जीव-विज्ञान समूह में अथवा कला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) बी.बी.ए./बी.सी.ए. में प्रवेश - संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार होंगे।

#### 2.6.2 अन्य सेमेस्टर्स में प्रवेश :

(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टर्स में पिछले सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जाएंगे।

(ख) कडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सिंगरटर्स प्रवृत्ति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दि. 16.2.2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त वि.वि. से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अंदर संबंधित महाविद्यालय स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

20 24  
67

## 2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश :

(क) कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम.
एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी.
एम.एससी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी. (गृहविज्ञान)

(ख) किसी भी संकाय से उत्तीर्ण स्नातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टर्स में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

## 3. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :

उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। जिला मुख्यालयों पर एक मात्र उपलब्ध महाविद्यालय के उत्कृष्ट घोषित होने की दशा में न्यूनतम अंक की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय जिनमें कोई ऐसा पाठ्यक्रम संचालित है जो जिला मुख्यालय के अन्य किसी शासकीय महाविद्यालय में संचालित नहीं है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

## 4. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

- 4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित वि.वि. द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु ही महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक-व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी-संख्या का निर्णय आयुक्त/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे।
- 4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ चल रहे पाठ्यक्रम, विषय समूह, सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रथम वर्ष एवं तृतीय, पंचम सेमेस्टर में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी विभाग के पोर्टल (<http://www.mphighereducation.nic.in>) पर निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित करना/करवाना होगा।
- 4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

22/10/2019  
Dm.



- 4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्राथमरी मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18.6.15 अनुसार रहेंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर 'वन स्टेप अप योजना' के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन नियत तिथियां तक किसी भी निकट के शासकीय महाविद्यालय से कराना होगा। पंजीयन के समय आवेदकों का अपनी अधिकतम नौ वरीयाताएं देनी होंगी।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। यदि प्रतिशत आधे से कम आता है तो कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही स्थान की संख्या एक मानी जायेगी। यह स्थान केवल प्रथम चरण हेतु ही उपलब्ध रहेंगे। प्रथम चरण पश्चात् इनके रिक्त स्थान विद्यार्थी आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगे।

#### 5. प्रवेश की पात्रता :

##### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

- (क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी संपत्तिधारी निवासी राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संवर्णित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यो एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापिता तथा स्नातक आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under Graduate Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Branch Code	Stream	Seats	Link Initiate	Admission/Fee Submitted
1	B. C. A.	C030	BCA	60	26	60
2	B. Sc.	C062	Biotechnology - Botany - Chemistry	40	9	26
3	B. Sc.	C067	Biotechnology - Chemistry - Zoology	20	9	15
4	B. Sc.	C080	Botany - Chemistry - Microbiology	20	7	12
5	B. Sc.	C085	Botany - Chemistry - Zoology	264	101	265
6	B. Sc.	C092	Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology	45	11	33
7	B. Sc.	C116	Chemistry - Mathematics - Physics	264	93	251
8	B. Sc.	C118	Chemistry - Microbiology - Zoology	60	20	57
9	B. Sc.	C127	Computer Application - Economics - Mathematics	5	2	5
10	B. Sc.	C129	Computer Application - Mathematics - Physics	30	8	23
11	B. Sc.	C130	Computer Application - Mathematics - Statistics	20	5	12
12	B. Sc.	C137	Computer Science - Mathematics - Physics	80	37	79
13	B. Sc.	C138	Computer Science - Mathematics - Statistics	30	11	30
14	B. Sc.	C139	Economics - Mathematics - Statistics	15	6	13
15	B. Sc.	C140	Electronics - Computer Science - Mathematics	10	2	6
16	B. Sc.	C142	Electronics - Information Technology - Mathematics	20	0	5
17	B. Sc.	C148	Geology - Economics - Mathematics	5	0	1
18	B. Sc.	C156	Information Technology - Mathematics - Physics	25	5	22
19	B. Sc.	C170	Mathematics - Electronics - Statistics	30	2	6
20	B. Sc.	C172	Mathematics - Geology - Physics	20	4	14
21	B. Sc.	C176	Mathematics - Information Technology - Statistics	25	1	15
22	B. Sc.	C178	Mathematics - Pharmaceutical Chemistry - Physics	5	1	3
23	B. Sc.	C183	Pharmaceutical Chemistry - Bioinformatics - Zoology	10	4	10
24	B. Sc.	C187	Physics - Mathematics - Statistics	50	12	40
25	B. Sc.	C259	Computer Application- Geology - Mathematics	5	0	0
26	B. Sc.	C311	Economics - Geography - Geology	25	4	8
27	B. Sc.	C312	Economics- Geography - Statistics	15	0	2
28	B. Sc.	C327	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	50	1	25
<b>Total</b>				<b>1248</b>	<b>381</b>	<b>1038</b>

Updated On 12-09-2017 at 03:34pm

Mayank MVM Fess Detail and code 2017-18.xls



**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under/Post Graduate/PG Diploma Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Stream	Seats	Link Initiate	Admission
1	M. Sc.	Botany	45	20	33
2	M. Sc.	Chemistry	45	23	45
3	M. Sc.	Mathematics	80	38	76
4	M. Sc.	Microbiology	30	12	18
5	M. Sc.	Pharmaceutical Chemistry	50	24	43
6	M. Sc.	Zoology	50	27	50
7	Special Courses	Pharmaceuticals Quality Control and Quality Assurance Management	30	0	0
8	Special Courses	PG Dipoma in Yoga	60	18	59
9	Special Courses	PGDCA	60	7	20
<b>Total</b>			<b>450</b>	<b>169</b>	<b>344</b>

**- [1812] Govt Madhav Science College, Ujjain**  
**Under Graduate Courses Year 2017-18**

S.No.	Course	Branch Code	Stream	Seats	Annual Fee (General) I Sem.		Annual Fee (General) III Sem.		Annual Fee (General) V Sem.	
					Boy	Girl	Boy	Girl	Boy	Girl
1	B. C. A.	C030	BCA	60	12551	12407	12341	12197	12441	12297
2	B. Sc.	C062	Biotechnology - Botany - Chemistry	40	10725	10557	10515	10347	10615	10447
3	B. Sc.	C067	Biotechnology - Chemistry - Zoology	20	10725	10557	10515	10347	10615	10447
4	B. Sc.	C080	Botany - Chemistry - Microbiology	20	7725	7557	7515	7347	7615	7447
5	B. Sc.	C085	Botany - Chemistry - Zoology	240	1325	1157	1315	1147	1415	1247
6	B. Sc.	C092	Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology	45	7725	7557	7515	7347	7615	7447
7	B. Sc.	C118	Chemistry - Microbiology - Zoology	60	7725	7557	7515	7347	7615	7447
8	B. Sc.	C183	Pharmaceutical Chemistry - Bioinformatics - Zoology	10	17125	16957	16715	16547	16815	16647
9	B. Sc.	C327	Bioinformatics - Chemistry - Zoology	50	10725	10557	10515	10347	10615	10447
10	B. Sc.	C116	Chemistry - Mathematics - Physics	240	1201	1057	1191	1047	1291	1147
11	B. Sc.	C127	Computer Application - Economics - Mathematics	5	7551	7407	7341	7197	7441	7297
12	B. Sc.	C129	Computer Application - Mathematics - Physics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
13	B. Sc.	C130	Computer Application - Mathematics - Statistics	20	7651	7507	7441	7297	7541	7397
14	B. Sc.	C137	Computer Science - Mathematics - Physics	80	7651	7507	7441	7297	7541	7397
15	B. Sc.	C138	Computer Science - Mathematics - Statistics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
16	B. Sc.	C139	Economics - Mathematics - Statistics	15	1151	1007	1141	997	1241	1097
17	B. Sc.	C140	Electronics - Computer Science - Mathematics	10	14001	13857	13591	13447	13691	13547
18	B. Sc.	C142	Electronics - Information Technology - Mathematics	20	14001	13857	13591	13447	13691	13547
19	B. Sc.	C148	Geology - Economics - Mathematics	5	1151	1007	1141	997	1241	1097
20	B. Sc.	C156	Information Technology - Mathematics - Physics	25	7651	7507	7441	7297	7541	7397



21	B. Sc.	C170	Mathematics - Electronics - Statistics	30	7651	7507	7441	7297	7541	7397
22	B. Sc.	C172	Mathematics - Geology - Physics	20	1201	1057	1191	1047	1291	1147
23	B. Sc.	C176	Mathematics - Information Technology - Statistics	25	7651	7507	7441	7297	7541	7397
24	B. Sc.	C178	Mathematics - Pharmaceutical Chemistry - Physics	5	7651	7507	7441	7297	7541	7397
25	B. Sc.	C187	Physics - Mathematics - Statistics	50	1201	1057	1191	1047	1291	1147
26	B. Sc.	C311	Economics - Geography - Geology	25	1201	1057	1191	1047	1291	1147
27	B. Sc.	C312	Economics- Geography - Statistics	15	1201	1057	1191	1047	1291	1147
28	B. Sc.	C259	Computer Application- Geology - Mathematics	5	7651	7507	7441	7297	7541	7397

### Under/Post Graduate/PG Diploma Courses Year 2017-18

S.N o.	Course	Stream	Seats	Annual Fee (General) I Sem. Bov	Annual Fee (General) I Sem. Girl	Annual Fee (General) III Sem. Bov	Annual Fee (General) III Sem. Girl
1	M. Sc.	Botany	45	1587	1371	1487	1271
2	M. Sc.	Chemistry	45	1587	1371	1487	1271
3	M. Sc.	Mathematics	80	7587	7371	7487	7271
4	M. Sc.	Microbiology	30	25087	24871	23987	23771
5	M. Sc.	Pharmaceutical Chemistry	50	24087	23871	22987	22771
6	M. Sc.	Zoology	45	1587	1371	1487	1271
7	Special Courses	Pharmaceuticals Quality Control and Quality Assurance Management	30	17587	17371	17487	17271
8	Special Courses	PG Dipoma	60				
9	Special Courses	PGDCA	60				

## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

स्नातक प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	बजे तक
<b>प्रथम चरण</b>				
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	25.05.2017	10.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	26.05.2017	13.06.2017	
2	(अ) 13 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	19.06.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	19.06.2017	23.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 22 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना होगा )	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	19.06.2017	23.06.2017	11:30 PM
<b>द्वितीय चरण</b>				
3	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना	24.06.2017	27.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए	24.06.2017	28.06.2017	
4	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	24.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयीं सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना ( पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	24.06.2017	30.06.2017	
5	(अ) 28 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	04.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	04.07.2017	07.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 06 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	04.07.2017	07.07.2017	11:30 PM
<b>तृतीय चरण</b>				
6	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	08.07.2017	10.07.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	08.07.2017	11.07.2017	

I B & Co.



7	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	08.07.2017		
	(ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना ( पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	08.07.2017	11.07.2017	
8	(अ) तृतीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	15.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	15.07.2017	19.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 18 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	15.07.2017	19.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	15.7.2017	19.07.2017	11:30 PM

### C.L.C

9	महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात (C.L.C चरण हेतु) रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	21.07.2017		
	College Level Counselling (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदकों को महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करना होगा।			
	सी.एल.सी. हेतु इच्छुक आवेदकों को महाविद्यालय में उपस्थित होना एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	22.07.2017	25.07.2017	
	महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारी करना	26.07.2017		
	(अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	26.7.2017	29.07.17	5:00 PM
	(ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करें)।	26.07.2017	29.07.2017	11:30 PM
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त समस्त महाविद्यालय /संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	26.07.2017	29.07.2017	11:30 PM

Handwritten signature and initials.

## ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी

सत्र 2017-2018

स्नातकोत्तर प्रथम-सेमेस्टर				
क्र.	कार्य विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	बजे तक
<b>प्रथम चरण</b>				
1	(अ) ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	01.06.2017	15.06.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन	01.06.2017	17.06.2017	
2	(अ) 17 जून 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए प्रथम-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	22.06.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	22.06.2017	28.06.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने की स्थिति में आवेदक को 27 जून 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करना होगा)	22.06.2017	28.06.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	22.06.2017	28.06.2017	11:30 PM
<b>द्वितीय चरण</b>				
3	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	29.06.2017	01.07.2017	
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 3 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	29.06.2017	03.07.2017	
4	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के प्रवेश पश्चात रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	29.06.2017		
	(ब) प्रथम चरण में रिक्त रह गयीं सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	29.06.2017	03.07.2017	
5	(अ) 01 जुलाई 2017 तक सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	06.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	06.07.2017	11.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 10 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	06.07.2017	11.07.2017	11:30 PM
<b>तृतीय चरण</b>				
6	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय /पाठ्यक्रम /विषय-समूह का विकल्प देना (निरंतर)	12.07.2017	14.07.2017	

R. S. S.



	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन ( केवल 6 (अ) के अनुसार पंजीयन कराने वाले आवेदकों के लिए )	12.07.2017	15.07.2017	
7	(अ) महाविद्यालयों में द्वितीय-चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों की पोर्टल पर जानकारी	12.07.2017		
	(ब) द्वितीय चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु, पुनः महाविद्यालय पाठ्यक्रम / विषय-समूह का ऑनलाइन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित आवेदकों द्वारा )	12.07.2017	15.07.2017	
8	(अ) तृतीय-चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना	19.07.2017		
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	19.07.2017	22.07.2017	5:00 PM
	(स) आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक 21 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय सीमा में भुगतान करें)	19.07.2017	22.07.2017	11:30 PM
	ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	19.07.2017	22.07.2017	11:30 PM
<b>C.L.C.</b>				
9	महाविद्यालयों में तृतीय चरण के पश्चात रिक्त रह स्थानों की सूची जारी करना (CLC चरण हेतु )	24.07.2017		
College Level Counselling (CLC) में प्रवेश हेतु आवेदको को महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रवेश प्राप्त करना होगा।				
	सी.एल.सी. चरण हेतु इच्छुक आवेदको को महाविद्यालय में उपस्थित होना एवं पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना	24.07.2017	26.07.2017	
	महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची जारी करना	27.07.2017		
	(अ) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लिंक इनिशिएट करवाना	27.07.2017	29.07.2017	5:00 PM
	(ब) सी.एल.सी. चरण की प्रवेश सूची अनुसार आवेदकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना (बैंक चालान से भुगतान करने वाले आवेदक दि. 28 जुलाई 2017 तक बैंक के निर्धारित समय में भुगतान करें)	27.07.2017	29.07.2017	11:30 PM
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त समस्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना	27-07-2017	29.07.2017	11:00 PM

*Dr. I. E. S.*

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल-462004  
 मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की  
 स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए  
 प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त  
 (सत्र 2017-2018)

**1. प्रयुक्ति :**

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

**2. प्रवेश प्रक्रिया :**

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2017-18 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार निर्धारित समयवधि में अनिवार्यतः करवाना होगा। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अंतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अन्तर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) पोर्टल उपलब्ध है। आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का चयन पंजीकरण के दौरान कर सकेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारणी अनुसार चरणवार एक मुश्त निम्नानुसार देय होगा:-

1. प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रू. 100/-
2. द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 250/- विलंब शुल्क सहित।
3. तृतीय चरण में पंजीयन हेतु रू. 500/- विलंब शुल्क सहित।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा।

आवेदक एक ही बार पंजीयन कराये। एक से अधिक पंजीयन पाये जाने पर केवल प्रथम पंजीयन ही मान्य होगा। पंजीयन के पश्चात् आवेदक प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर पोर्टल पर आवश्यक सुधार करें। सत्यापन के पश्चात् किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। पंजीयन प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।



आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों में इसके लिए सहायता केंद्रों (Help Centres) की व्यवस्था की गई है। आवेदक प्रवेश हेतु अपना पंजीयन इन महाविद्यालयों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो के साथ उपस्थित होकर निर्धारित फार्म भरकर हेल्प सेंटर के माध्यम से भी करवा सकेगा। तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट आवेदक को दिया जायेगा। इस हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु. 10 जनभागीदारी मद में लिये जावेंगे। आवेदक को निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कंडिका 2.1 अनुसार करवाना होगा।

जिन दूरस्थ अंचलों के शासकीय महाविद्यालयों में हेल्प सेंटर नहीं है, उन महाविद्यालयों में आवेदक निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित आवेदन निर्धारित चरणवार पंजीयन तिथि के तीन दिवस पूर्व तक जमा कर सकते हैं। आवेदक अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे जिस महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापित किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा आवेदक से निर्धारित पंजीयन शुल्क प्राप्त कर जनभागीदारी खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा आवेदक का ऑनलाइन पंजीयन तीन दिवस के अन्दर/उस चरण की निर्धारित पंजीयन तिथि तक आवश्यक रूप से करना होगा तथा उसे पोर्टल पर सत्यापन अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करवाना होगा। आवेदक के ऑनलाइन पंजीयन का प्रिन्ट उसके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तथा इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। महाविद्यालय को आवेदक से प्राप्त पंजीयन शुल्क की जानकारी (दिनांक, महाविद्यालय का कोड क्रमांक, आवेदक का पंजीयन क्रमांक तथा रसीद क्रमांक आदि) पोर्टल पर तुरन्त दर्ज करना आवश्यक होगा। यह अति-आवश्यक है क्योंकि पंजीयन शुल्क की जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक का आवंटन नहीं किया जायेगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

**पंजीयन शुल्क का भुगतान :**

1. निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान द्वारा
2. निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा

**2.1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :**

2.1.1 स्नातक स्तर: ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, आयु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, संवर्ग प्रमाण-पत्र, ओ.बी.सी. के लिये क्रीमी-लेयर में न होने का प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र, एन.एस.एस./एन.सी.सी./क्रीडा/साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण-पत्र इत्यादि) जिनके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन करवाना होगा। पंजीयन पश्चात् आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा अनिवार्यतः संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर करवाना होगा। पंजीकृत आवेदकों को किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केंद्रों में अपने मूल प्रमाण-पत्रों, जिनका उल्लेख आवेदन में किया हो, की छायाप्रतियों के एक सेट और पंजीयन-पत्र की प्रति सहित उपस्थित होना होगा। निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सत्यापन होगा। सहायता केंद्र के प्रभारी द्वारा सत्यापन पत्र की दो प्रतियों पर आवेदक से हस्ताक्षर प्राप्त कर, एक प्रति आवेदक को प्रदान करेंगे और दूसरी प्रति सहायता केंद्र में अभिलेख स्वरूप साथ रखेंगे। अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर आवेदक सत्यापन-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापन कार्य ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

2.1.2 स्नातकोत्तर स्तर: ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् आवेदक को कंडिका 2.1.1 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्र से अभिप्रमाणन से संतुष्ट होने पर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापन-पत्र की प्रति प्राप्त करनी होगी। सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार सहायता केंद्रों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

2.1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक हो चुका होगा।

2.2 इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के संबंध में :

दस्तावेजों के सत्यापन के समय इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अंकसूची मान्य होगी, परन्तु प्रवेश के समय मूल अंकसूची ही मान्य होगी। मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) के अभाव में आवेदक से निर्धारित प्रपत्र में वचन-पत्र प्राप्त कर निर्दिष्ट समयावधि में अंकसूची की प्रतिलिपि तथा मूल टी.सी. जमा करवायी जाएगी। इसकी जानकारी यथास्थान ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में दर्ज की जावेगी जिससे प्रवेश मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। वचन पत्र में घोषित तिथि तक यदि आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किये जाते तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.3 ऑनलाइन गुणानुक्रम सूची का महाविद्यालयवार प्रकाशन :

2.3.1 प्रथम चरण में सभी सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे। इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाइल पर भी दी जायेगी। तथापि आवेदक से यह अपेक्षित है कि वह अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं चेक करे। तत्पश्चात् प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ एवं मूल टी.सी. प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय आवेदक की पात्रता आदि का सत्यापन करने के पश्चात् ई-प्रवेश पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि में करेगा। तत्पश्चात् ही आवेदक को ऑनलाईन शुल्क जमा करने हेतु लिंक इनीशियट होगी। यह लिंक समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक ही एक्टिव रहेगी। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में ऑनलाईन ही ट्रांसफर होगा।

2.3.2 महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एडमीशन स्लिप का प्रिंट आउट आवेदक को अनिवार्यतः दिया जाना है, तभी आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय के प्रवेशित छात्रों की सूची में पोर्टल पर दिखाई देगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवेदक स्वयं भी अपनी एडमीशन स्लिप का प्रिंटआउट पोर्टल से प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है।

2.4 महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः वरीयताएँ :

प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों (जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्हे आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है) के लिए पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा। आवेदक चाहे तो अपनी पूर्व वरीयताएँ बदल सकेंगे। इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

*Dr. T. E. S. S.*



## 2.5 तृतीय चरण हेतु प्रवेश :

2.5.1 द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गये स्थानों पर तृतीय चरण हेतु अप्रवेशित आवेदक अपनी पूर्व बरीयताओं में समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।

इस चरण में रिक्त आरक्षित सीटों पर संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेगी।

अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही प्रावधिक प्रवेश हेतु सी.एल.सी. चरण में विचार किया जावेगा।

2.5.2 पात्रता प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्राविधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने अपना पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करा लिया है। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रवेशित महाविद्यालय में अपने परिणाम के आधार पर पास/पूरक अद्यतन कराना होगा जिससे उनका प्रवेश स्वमेव नियमित/निरस्त हो जाएगा। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कडिका 2.7 (क) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी, लेकिन विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिये आवेदक को स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण विषयों में से किसी एक में ही प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।


2.5.3 कडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश वाहने वाले उनके पाल्य को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित समय के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक पाल्य का निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियानुसार अन्य महाविद्यालय में प्रवेशित होना अनिवार्य है। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलपति की अनुमति से ही सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा।

## 2.6 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

### 2.6.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।



5. गृह-विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा, गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है। इन आवेदकों को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में जीव-विज्ञान समूह में अथवा कला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ग) बी.बी.ए./बी.सी.ए. में प्रवेश - संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार होंगे।

#### 2.6.2 अन्य सेमेस्टर्स में प्रवेश :

(क) पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जायेगा। शेष सेमेस्टर्स में पिछले सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। नियमानुसार शुल्क का भुगतान करने पर ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य किये जाएंगे।

(ख) कडिका 5.1(क) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सिंगरटर पदवी के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदक को प्रवेश के समय संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दि. 16.2.2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं वह विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त वि.वि. से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में सीट रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में प्रावधिक नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

रिजल्ट घोषित होने के 07 दिवस के अंदर संबंधित महाविद्यालय स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा 15 दिवस के अंदर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तत्पश्चात प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं निर्धारित तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

20 24  
67



## 2.7 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश :

(क) कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम.
एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी.
एम.एससी. (गृहविज्ञान), प्रथम सेमेस्टर	बी.एससी. (गृहविज्ञान)

(ख) किसी भी संकाय से उत्तीर्ण स्नातक को एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। पिछले सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण अथवा किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य सेमेस्टर्स में नियमानुसार शुल्क भुगतान करने पर स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

## 3. उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश :

उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। जिला मुख्यालयों पर एक मात्र उपलब्ध महाविद्यालय के उत्कृष्ट घोषित होने की दशा में न्यूनतम अंक की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय जिनमें कोई ऐसा पाठ्यक्रम संचालित है जो जिला मुख्यालय के अन्य किसी शासकीय महाविद्यालय में संचालित नहीं है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

## 4. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

- 4.1 जिन पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित वि.वि. द्वारा सीट निर्धारण नहीं किया गया है, ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु ही महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठक-व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या का निर्धारण प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व किया जावेगा। अगर विद्यार्थी-संख्या का निर्णय आयुक्त/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है तो संबंधित प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व वांछित अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकेंगे।
- 4.2 समस्त महाविद्यालयों को उनके यहाँ चल रहे पाठ्यक्रम, विषय समूह, सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रथम वर्ष एवं तृतीय, पंचम सेमेस्टर में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क/नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी, महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी विभाग के पोर्टल (<http://www.mphighereducation.nic.in>) पर निर्धारित तिथियों में आवश्यक रूप से दर्ज/अद्यतन कर लॉक करना होगा तथा उन्हें सत्यापित करना/करवाना होगा।
- 4.3 विधि स्नातक स्तर की कक्षाओं में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

- 4.4 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्राथमरी मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44-27/2015/20-2, दिनांक 18.6.15 अनुसार रहेंगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर 'वन स्टेप अप योजना' के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन नियत तिथियां तक किसी भी निकट के शासकीय महाविद्यालय से कराना होगा। पंजीयन के समय आवेदकों का अपनी अधिकतम नौ वरीयाताएं देनी होंगी।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में उपलब्ध कुल सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे। यदि प्रतिशत आधे से कम आता है तो कोई स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही स्थान की संख्या एक मानी जायेगी। यह स्थान केवल प्रथम चरण हेतु ही उपलब्ध रहेंगे। प्रथम चरण पश्चात् इनके रिक्त स्थान विद्यार्थी आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगे।

#### 5. प्रवेश की पात्रता :

##### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

- (क) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी संपत्तिधारी निवासी राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संवर्णित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यो एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापिता तथा स्नातक आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी। उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

- (ख) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ग) जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
6. तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।